[12/8/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 1052]

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास
विधान सभा प्रश्न कमांक 1052
पूरक जानकारी

विधान सभा प्रश्न कमांक 3944 के प्रश्नांश "ग" के कम में श्री सूर्यप्रकाश श्रीवास्तव स्वच्छता निरीक्षक की पदोन्नति स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर की गई थी। जिसकी पुष्टि स्थानीय शासन विभाग के ज्ञाप कमांक 4/475/95/18–1 दिनांक 05.02.1996 से की गई थी, परन्तु पदोन्नति में अनियमितता की शिकायत होने पर आयुक्त नगर निगम देवास द्वारा पत्र कमांक 1792 दिनांक 08.04.1997 से की गई पुष्टि को निरस्त करने हेतु स्थानीय शासन को लिखा गया, जिसके कम में स्थानीय शासन विभाग द्वारा पत्र कमांक एफ 4–575/95/18–1 दिनांक 19.05.1997 से पदोन्नति की गई पुष्टि को निरस्त किया गया।

उपरोक्त निरस्त आदेश के विरूद्ध श्री श्रीवास्तव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की थी। याचिका कमांक 2370/97 पर दर्ज होकर उपरोक्त याचिका में मान. न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2010 को उपरोक्त याचिका निरस्त की गई थी।

मान. उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध श्री श्रीवास्तव के द्वारा रिट अपील मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत की जो डब्ल्यू. ए. 799/2010 पर दर्ज हो कर उपरोक्त रिट अपील में मान. उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.12.2020 से अपील को निरस्त की गयी ।

मान. उच्च न्यायालय द्वारा अपील निरस्त किये जाने के कम में नगर निगम देवास द्वारा कार्यालयीन आदेश कमांक 1390 दिनांक 05.03.2021 से इनके मूल पद पर स्वच्छता निरीक्षक पर पदावनति आदेश जारी किया गया।

उपरोक्त आदेश के कम में श्री श्रीवास्तव द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में उपरोक्त रिट अपील निरस्त किये जाने के विरूद्ध रिव्यू पीटीशन कमांक 28/2021 में दिनांक 18.01.2021 एवं 25.02.2021 को दिये गये स्थगन की प्रति प्रस्तुत की

उपरोक्त स्थगन प्राप्त होने पर नगर पालिक निगम देवास द्वारा आदेश कमांक 1421 दिनांक 06.03.2021 से पदावनति का आदेश निरस्त किया गया।

उपरोक्त याचिका, अपील एवं रिव्यू पीटीशन सभी न्यायालयीन प्रकरणों में श्री राम सिंह केलकर प्र. स्वा. अधिकारी ओआईसी नियुक्त किया गया है।

प्रश्न कमांक 3945 दिनांक 16.03.2021 के प्रश्नांश "ख" में आयुक्त नगर निगम भोपाल द्वारा पत्र कमांक 25 दिनांक 06.02.2021 से प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग को श्री सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव के निलम्बित किये जाने का अनुरोध किया था। जिसकी प्रतिलिपि नगर निगम देवास को प्रेषित की गई थी।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग